

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 199 / 2012
संस्थान दिनांक 16.05.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

शयोराज पिता घीसाजी, आयु 27 वर्ष
निवासी-पातुड़ी, थाना दूदू,
जिला जयपुर (राजस्थान)

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 29.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 91/2012 अंतर्गत 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 16.05.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 10.05.2012 को 05:30 बजे ए.बी. रोड़ राजस्थानी ढाबे के पास टेमला फाटे पर वाहन एक सफेद कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू. 3662 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर जगन का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 10.05.2012 को फरियादी मुन्नालाल मण्डलोई उसके गौंव गोलानिया से ठीकरी आ रहा था, उसके साथ उसके काका का पुत्र खुमसिंग भी था। मुन्नालाल का भाई मोटरसाईकिल से ग्राम गोलानिया से ठीकरी जा रहा था, वह मुन्नालाल के आगे था तथा मुन्नालाल मोटरसाईकिल से पीछे था। उनके आगे-आगे एक

सफेद कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू. 3662 का चालक अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ले जा रहा था, लगभग 5:30 बजे टेमला फाटे के पास ए.बी. रोड़ पर फरियादी के भाई जगन को कंटेनर ने तेजी से टक्कर मार दी जिससे जगन मोटरसाईकिल सहित कंटेनर के अंदर घुस गया। कंटेनर का चालक कंटेनर को घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग गया। मुन्नालाल उसके भाई जगन को लेकर ठीकरी अस्पताल गया, जहाँ पर जगन की मृत्यु हो गई। पुलिस ने फरियादी मुन्नालाल द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त वाहन कंटेनर एच.आर. 38 क्यू. 3662 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 91/2012 अंतर्गत धारा 304—ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी मुन्नालाल की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने मृतक जगन के शव का सफीना फार्म प्रदर्शपी 3 एवं नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 4 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त के पेश करने पर वाहन कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू. 3662 मय दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 6 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.05.2012 को 05:30 बजे ए.बी. रोड़ राजस्थानी ढाबे के पास टेमला फाटे पर वाहन एक सफेद कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू. 3662 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर जगन का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारी, जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी मुन्नालाल (अ.सा.1), खुमसिंह (अ.सा.2), प्रधान आरक्षक आशीष पंडित (अ.सा.3), सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट (अ.सा.4), डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5) एवं पण्डू (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में मुन्नालाल मण्डलोई अ.सा 1 का कथन है कि घटना वर्ष 20012 की है। घटना वाले दिन वह ग्राम घोलानिया से ग्राम ठीकरी खुमसिंग के साथ जा रहा था। उसका भाई जगन भी उसकी मोटरसाईकिल से आगे-आगे चल रहा था। पीछे आ रहे कंटेनर ने जगन की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे जगन मोटरसाईकिल सहित कंटेनर के नीचे आ गया। कंटेनर का चालक कंटेनर को तेज गति से चलाकर ला रहा था। दुर्घटना के बाद कंटेनर का चालक वाहन को छोड़कर भाग गया था। वह जगन को कंटेनर से निकालकर अस्पताल ले गया जहाँ, जगन की अस्पताल में मृत्यु हो गई। टक्कर मारने वाले कंटेनर का क्रमांक क्रमांक एच. आर. 38 क्यू. 3662 था। उसने थाना ठीकरी पर दुर्घटना के संबंध में प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल बताया था। पुलिस ने प्रदर्शपी 3 का सफीना फार्म जारी किया जिसका नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 4 बनाया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पास स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल है और जगन के पास भी वही मोटरसाईकिल है। साक्षी ने स्वीकार किया कि ए.बी. रोड़ दो भागों में है, जिसके मध्य में डिवाइडर है। जगन उसकी मोटरसाईकिल से लगभग 100 फीट की दूरी पर आगे चल रहा था और रोड़ से दो वाहन एक साथ निकल जाये सड़क इतनी चौड़ी थी। वह एवं उसका भाई जगन सड़क के किनारे वाली पट्टी से चल रहे थे, उनकी मोटरसाईकिल सड़क पर इतनी जगह थी कि दूसरी मोटरसाईकिल निकल जाये। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि जगन उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाकर लाया और कंटेनर में पीछे से घुस गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी अथवा उसने टक्कर मारने वाले वाहन को भी नहीं देखा था अथवा उसका क्रमांक भी नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि वह अपने भाई को क्लेम दिलाने के लिए कंटेनर के चालक के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

8. खुमसिंग असा 2 ने भी घटना दिनांक को जगन की मोटरसाईकिल को ट्राले के चालक द्वारा पीछे से टक्कर मारने के कारण जगन टक्कर मारने वाले वाहन के नीचे आने एवं दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में कथन किय है। साक्षी ने टक्कर मारने वाले वाहन का क्रमांक एच.आर. 38 क्यू. 3662 बताया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि टक्कर मारने वाले वाहन का चालक वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ला रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जगन उसके काका का पुत्र हैं, वह तथा मुन्नालाल तथा जगन मोटरसाईकिल से सड़क से बायीं ओर जा रहे थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सामने से कोई वाहन नहीं आता है और वह जगन की मोटरसाईकिल से लगकर 100 फीट की दूरी पर थे। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि जगन उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक से चला रहा था अथवा उसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई थी अथवा उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

9. आशीष पंडित असा 3 ने दिनांक 10.05.2012 को फरियादी मुन्नालाल ने थाना ठीकरी पर कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू 3662 के चालक के विरुद्ध तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर जगन की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट के आधार पर उसने मार्ग क्रमांक 19/12 प्रदर्शपी 5 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी या उक्त रिपोर्ट में ट्रक चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही द्वारा वाहन चलाने की बात नहीं लिखाई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में फरियादी ने यह नहीं लिखाया था कि मृतक सड़क के दायी और या बायी और मोटरसाईकिल चला रहा था।

10. शिवराम जाट असा 4 का कथन है कि थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 91/12 की विवेचना के दौरान फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा मुन्नालाल की निशांदेही से नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने प्रदर्शपी 3 का सफीना फार्म और नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 4 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और अभियुक्त के पेश करने पर कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू. 3662 मय दस्तावेज एवं चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा किसी भी साक्षी ने वाहन का क्रमांक नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने सभी साक्षियों के कथन प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज कर लिये थे अथवा अभियुक्त के विरुद्ध यह असत्य प्रकरण बनाया है।

11. पण्डु असा 6 का कथन है कि उसकी गायत्री ऑटो गैरेज के नाम से थाना अंजड़ के सामने गैरेज है। थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 91 / 12 में एक जप्त कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू 3662 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर वाहन को सही अवस्था में पाया था और उसमें कोई भी तकनीकी खराबी होना नहीं पाई थी। साक्षी ने परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने परीक्षण का कोई डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया है और उक्त परीक्षण उसने थाना ठीकरी पर किया था।

12. डॉ.आर.एस. मुजाल्दा असा 5 का कथन है कि दिनांक 11.05.2012 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में थाना ठीकरी के आरक्षक बंदी द्वारा लाने पर मृतक जगन के शव का परीक्षण कर प्रदर्शपी 8 का शव परीक्षण प्रतिवेदन दिया था और मृत्यु का कारण सिर, पैर एवं शरीर के अन्य भागों में चोटों से होना पाया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 8 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं।

13. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू 3662 को चालने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षियों ने उक्त अभियुक्त की पहचान दुर्घटना के समय उक्त वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य साक्षी को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त ने ही घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले उक्त कंटेनर को चला रहा था, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त कंटेनर को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर जगन की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

14. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त श्योराज के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त श्योराज को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304—ए भा.दं.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कंटेनर क्रमांक एच.आर. 38 क्यू.3662 दिनांक 16.05.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिकृत शिवकुमार शर्मा पिता बिहारीलाल शर्मा, निवासी-टी. सी.एल.हाउस 69 सेक्टर 32 गुड़गाँव, हाल मुकाम सागरकोठी पिथमपुर को सुपुर्दगीनामे पर किया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी